

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 1972/भाद्र 10, 1894

No. 228]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 1972/BHADR

1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st September 1972

G.S.R. 399(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 159/72-Central Excises, dated the 1st July 1972, the Central Government hereby fixes a tariff value of two hundred and thirty-five rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 197/72.

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बोमा विभाग)

अधिवृत्त
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 मिनचर, 1972

सा० का० नि० 399 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नगर अधिनियम, 1944 (1941 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बोमा विभाग) को तारीख 1 जुलाई, 1972 को अधिवृत्त संख्या 159/72 के० उ० शु० को अतिष्ठित करने द्वारा केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद संख्या (1) के अंतर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभाव्य चीनी के लिए दो सी पीपीएस रुपये प्रति स्विटल टैरिफ मूल्य एतद्द्वारा निवृत्त करने है।

परन्तु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खड्ड (घ) के अधीन वस्तु को जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी।

[दिना 197/72]

एस० आर० नारायणर, अवर सचिव।